

बिहार सरकार  
राजस्व विभाग  
( भू-अर्जन शाखा )

अधिघोषणा

यूँकि बिहार के राज्यपाल को यह प्रतिक होता है कि ग्राम - औरैया (मुर्तिया ) प्रगन्ना थाना आदापुर थाना न०-97 जिला पूर्वी चम्पारण में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ एस० एस० बी० (कम्पनी मुख्यालय) कैम्प के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम औरैया मुर्तिया न०-97 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक नाप से कमी वेश बीघा कटठा धुर है। जो 0.53 एकड़ के बराबर होता है, जिसका प्लॉट संख्या निम्नांकित है। एक भू-खण्ड अपेक्षित है, जिसकी खेसरा संख्या- 1357, 1214 है। इस भू-खण्ड की चौहदी निम्न प्रकार है।

- अंश खेसरा- 1214, पूर्ण खेसरा- 1357
- चौहदी
- उत्तर -अंश खेसरा 1209
- दक्षिण- अंश खेसरा 1214
- पूरव- खेसरा 1211
- पश्चिम- रैयती भूमि

भूमि का भूमि के किराी खास भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लाहा पत्थर, स्लैट या अन्य खनीजों की खानों की आवश्यकता नहीं है किन्तु खानों और खनीजों के केंवल वे भाग, जिन्हें जिस कार्य के लिये भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिये खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो, ले लिये जाएंगे।

यह घोषणा अधिनियम 1894 की धारा -6 और अधिनियम 18, 1885 की धारा -3 के खण्ड (1) के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिये जारी की जाती है जिसका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा भू- अर्जन पदाधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

4/28  
राजस्व विभाग  
पूर्वी चम्पारण नाबाली

रामाहता सम्पत्ति  
पूर्वी चम्पारण, मोर्तिया

802  
सरकार के अवर सचिव  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
बिहार, पटना

ज्ञापांक...../ दिनांक

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना -7 को बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशित करने और उसकी दस अतिरिक्त प्रतियाँ इस विभाग को यथा शीघ्र भेजने के लिये भेजी जाती है।


समाप्त  
पूर्वी चम्पारण, मोर्तिया

अर्जन पदा०  
(मातिहारी)

सरकार के अवर सचिव  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

4/28  
राजस्व विभाग  
पूर्वी चम्पारण नाबाली

- प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ (सी०डी० सहित) दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पू० चम्पारण को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, समाहरणालय, पू० चम्पारण को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पू० चम्पारण को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 4. समाहर्ता/अपर समाहर्ता तथा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पू० चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 5. जिला अवर निबंधक पू० चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 6. आई० टी० मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

  
(नरोत्तम प्रसाद सिंह)  
सरकार के अवर सचिव।  
